This notification shall have immediate effect.

[No.F. 12(22)FD/Tax/10-100] By Order of the Governor,

(Vaibhav Galriya), Deputy Secretary to Government.

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION Jaipur, March 9, 2010

S.O.405.-In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No.11 of 1951) and in supersession of this department's notification No.F.6(179)Pari/Tax/Hqrs./95/1L, dated 27.03.2006 (as amended from time to time), the State Government hereby with immediate effect prescribes the rate of **One Time Tax** in case of **non-transport vehicles** as specified in Column number 2 of the table given below, at the rates specified against each in Column number 3 thereof: -

TABLE

	IABLE				
S.	Description of class of Motor Vehicle	Rate of One Time Tax			
No.					
1	2	3			
1.	Motor Vehicles including Two Wheeled				
	Vehicles, constructed and used solely for the				
	conveyance of persons and light personal				
	luggage, with seating capacity upto 10				
	including driver,				
	(A) Two wheeled vehicles having engine				
	capacity				
	(i) Up to 100cc.	4% of the cost of the vehicle.			
	(ii) More than 100cc.	8% of the cost of the vehicle.			
	(B) Three wheeled vehicles.				
	(i) Cost of the vehicle up to Rs. 1,50,000.	3% of the cost of the vehicle.			
	(ii) Cost of the vehicle above Rs. 1,50,000.	4% of the cost of the vehicle.			
	(iii) Cost of the chassis up to Rs. 1,50,000.	3.75% of the cost of the chassis.			
	(iv) Cost of the chassis above Rs. 1,50,000.	5% of the cost of the chassis.			
	(C) Four wheeled vehicles				
	With seating capacity up to 10 including				
	driver.				
	(i) Cost of vehicle up to Rs. 2,50,000	2.5% of the cost of the vehicle.			
	(ii) Cost of vehicle more than Rs. 2,50,000	5% of the cost of the vehicle.			
	and up to Rs. 6,00,000				
	(iii) Cost of vehicle more than Rs. 6,00,000	8% of the cost of the vehicle.			
	and up to Rs. 10,00,000				
	(iv) Cost of vehicle more than 10,00,000	10% of the cost of the vehicle.			
	(D) Trailers or side cars drawn by vehicles	0.30% of the cost of that vehicle to			
	mentioned above.	which the trailer or side car is attached.			
2.	Two wheeled/Three wheeled Motor Vehicles	0.30% of cost of vehicle subject to a			
	adapted for use of invalids	maximum Rs.50/-			
3.	Agriculture Tractor/Combine Harvester	0.30% of the cost of the vehicle.			
4.	Camper van/trailer for private use				
	(a) Purchased as a chassis.	10% of the cost of the chassis.			
	(b) Purchased with a complete body.	7.5% of the cost of the vehicle.			

5.	Vehicles fitted with equipments like rig, generator or compressor, crane mounted vehicle, Fork Lift, Tow trucks, breakdown	
	van, recovery vehicles, Tower wagons, tree	
	trimming vehicles or any other non transport	
	vehicles not covered under any category.	
	(a) Purchased as a chassis.	10.0% of the cost of the chassis.
	(b) Purchased with a complete body.	8.0% of the cost of the vehicle.
6.	Construction Equipment Vehicle	
	(a) Purchased as a chassis.	7.5% of the cost of the chassis.
	(b) Purchased with a complete body.	6.0% of the cost of the vehicle.

Provided that -

- (1) on every transfer of ownership of the motor vehicles mentioned in Column number 2 against serial number 1 to 3 above, an additional tax at the rate of 25% of the one time tax paid at the time of registration shall be payable.
- (2) on every transfer of ownership of the motor vehicles mentioned in Column number 2 against serial number 4 to 6 above, an additional tax at the rate of 10% of the one time tax paid at the time of registration shall be payable.
- (3) no additional tax shall be payable;
 - in case where transfer of ownership is being done in the name of person succeeding to the possession of the motor vehicle owing to the death of the registered owner of the motor vehicle; or
 - (ii) in case where the vehicle is transferred in the name of the insurance company on account of settlement of the claim filed by the owner against the insurance company.
- (4) in case of vehicles already registered in or outside the State or in case of Military Disposal Vehicles, on which one time tax was not payable earlier, the one time tax shall be arrived at by reducing the amount of tax as computated above, at the rate of 5% per financial year or part thereof up to 10 years from the date of registration.
- (5) in case of vehicles exempted from registration or vehicles which were not registered during the prescribed time, on which one time tax was not payable earlier, the one time tax shall be arrived at by reducing the amount of tax as computed above at the rate of 5% per financial year or part thereof, up to 10 years from the date of its purchase subject to the condition that the tax due on such vehicle has been paid.
- (6) if vehicles, as mentioned in Column number 2 against serial number 1 to 3 above, are found plying on hire or reward, then these vehicles shall be liable to pay tax as notified for transport vehicles of similar type, for the complete financial year, in which the vehicle was found plying on hire or reward but in those cases where vehicle is registered in the same financial year in which it was found plying on hire or reward, the tax shall be payable for the balance of the financial year on pro rata basis.

Note: In addition to tax payable under this notification, there shall be paid by the owner or person having possession or control of a motor vehicle, any tax or penalty as was payable under the said Act for any period prior to the coming into force of this notification.

Explanation:

(1) "Construction Equipment Vehicle" shall mean a vehicle as defined in rule 2(ca) of the Central Motor Vehicles Rules, 1989. The use of public road by

Construction Equipment Vehicle is incidental to the main off-route function. If the public road is being used regularly for carrying on commercial activities, then Construction Equipment Vehicle shall be deemed to be a transport vehicle.

(2) The cost of vehicles for computation of tax:

similar type of the vehicle in this state.

- (i) In case of new vehicle/chassis shall be the ex-showroom price inclusive of
 - all taxes as shown in purchase bill.

 (ii) In case of vehicles registered/purchased outside the State and brought in Rajasthan for assignment/registration, and for vehicles already registered

in Rajasthan on which one time tax was not payable earlier, shall be the cost as prevailing in Rajasthan on the day when the tax becomes due on

(iii) In case of vehicles manufactured out of India shall be the amount inclusive of all taxes and levies which has been paid, whether newly imported or

brought from the other states for assignment in Rajasthan.

(iv) In case of Military disposal vehicles, shall be the amount as prevailing on the day of registration on similar type of vehicle.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/1P]
By Order of the Governor,

(Manoj Kumar Sharma),
Deputy Secretary to Government.

वैभव गालरिया, शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार परिवहन विभाग जयपुर, ९ मार्च, २०१० अधिसूचना

एस.ओ.४०५.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, १९५१ (१९५१ का अधिनियम सं.११) की धारा ४ की उप-धारा (१) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना सं. एफ.६(१७९)परि/टैक्स/एच क्यू/९५/१एल, दिनांक २७.०३.२००६ को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ सं. २ में यथा-विनिर्दिष्ट गैर-परिवहन यानों के मामले में एकबारीय कर की दर, उसके स्तम्भ सं. 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर, इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से विहित करती है:-

सारणा		
मोटर यानों के वर्ग का विवरण	एकबारीय कर की दर	
~ `		
,		
· /	यान की लागत का ४%	
\(\frac{1}{2}\)	यान की लागत का ८%	
` '		
वाले यान	यान की लागत का 3%	
(ii) 1,50,000 रु. से अधिक लागत वाले यान	यान की लागत का ४%	
वाली चैसिस	चैसिस की लागत का 3.75%	
वाली चैसिस	चैसिस की लागत का 5%	
ड्राइवर सहित 10 तक की सीट क्षमता वाले		
(i) 2,50,000 रु. तक की लागत वाले यान	यान की लागत का 2.5%	
(ii) 2,50,000 रु. से अधिक तथा	यान की लागत का 5%	
6,00,000 रु. तक की लागत		
वाले यान		
	यान की लागत का ८%	
(iv) 10,00,000 रु. से अधिक लागत	यान की लागत का 10%	
	स्रोटर यानों के वर्ग का विवरण संगम के प्रवहण के लिए ही संनिर्मित और उपयोग में लिये जा रहे, दुपहिया यानों को सम्मिलित करते हुए, ऐसे मोटर यान जिनकी सीट क्षमता ड्राइवर सहित 10 तक है; (क) इंजन क्षमता वाले दुपहिया यान (i) 100 सीसी तक (ii) 1,50,000 रु. तक की लागत वाले यान (iii) 1,50,000 रु. तक की लागत वाले वीसस (iv) 1,50,000 रु. तक की लागत वाली चैसिस (iv) 1,50,000 रु. से अधिक लागत वाली चैसिस (iv) 1,50,000 रु. से अधिक लागत वाली चैसिस (iv) 1,50,000 रु. तक की लागत वाली चैसिस (iv) 1,50,000 रु. से अधिक लागत वाली चैसिस (iv) 2,50,000 रु. तक की लागत वाले यान (ii) 2,50,000 रु. तक की लागत वाले यान (iii) 2,50,000 रु. से अधिक तथा 6,00,000 रु. से अधिक तथा 6,00,000 रु. तक की लागत वाले यान (iii) 3,50,000 रु. से अधिक तथा 6,00,000 रु. से अधिक तथा 6,00,000 रु. से अधिक तथा 6,00,000 रु. से अधिक तथा	

	वाले यान	
	(घ) ऊपर वर्णित यानों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर या साइड कारें	उस यान की लागत का 0.30% जिससे ट्रेलर या साइड कार संलग्न की जाती है
2.	अशक्तों के उपयोग के लिए अनुकूलित दुपहिया/तिपहिया मोटर यान	अधिकतम ५० रु० के अध्यधीन रहते हुए यान की लागत का ०.३०%
3.	कृषि ट्रेक्टर/कम्बाइन हारवेस्टर	यान की लागत का 0.30%
4.	निजी उपयोग के लिए कैम्पर वैन/ट्रेलर	20
	(क) चैसिस के रूप में क्रय किये गये	चैसिस की लागत का 10%
	(ख) सम्पूर्ण बॉडी सहित क्रय किये गये	यान की लागत का 7.5%
5.	रिग, जेनरेटर या कम्प्रेसर जैसे उपस्कर लगे यान, क्रेन माउन्टेड यान, फोर्क लिफ्ट, टो ट्रक, ब्रेक डाउन वैन, रिकवरी यान, टावर वैगन, ट्री ट्रिमिंग यान या किसी प्रवर्ग के अधीन नहीं आने वाले अन्य गैर-परिवहन यान।	
	(क) चैसिस के रूप में क्रय किये गये	चैसिस की लागत का 10%
	(ख) सम्पूर्ण बॉडी सहित क्रय किये गये	यान की लागत का ८%
6.	संनिर्माण उपस्कर यान	
	(क) चैसिस के रूप में क्रय किये गये	चैसिस की लागत का 7.5%
	(ख) सम्पूर्ण बॉडी सहित क्रय किये गये	यान की लागत का 6.0%

परन्तु :

- (1) उजपर क्र. सं. 1 से 3 के सामने स्तम्भ सं. 2 में वर्णित मोटर यानों के स्वामित्व के प्रत्येक अन्तरण पर रिजस्ट्रीकरण के समय संदत्त एकबारीय कर की 25% की दर से अतिरिक्त कर संदेय होगा।
- (2) ऊपर क्रम सं 4 से 6 के सामने स्तम्भ सं. 2 में वर्णित मोटर यानों के स्वामित्व के प्रत्येक अन्तरण पर रिजस्ट्रीकरण के समय संदत्त एकबारीय कर की 10% की दर से अतिरिक्त कर संदेय होगा।
- (3) कोई भी अतिरिक्त कर संदेय नहीं होगा:-
 - (i) ऐसे मामलों में जहाँ स्वामित्व का अंतरण मोटर यान के रिजस्ट्रीकृत स्वामी की मृत्यु के कारण मोटर यान के कब्जे के उत्तरवर्ती व्यक्ति के नाम में किया जा रहा हो; या
 - (ii) ऐसे मामलों में जहां यान के स्वामी द्वारा बीमा कम्पनी के विरुद्ध फाइल किया गया दावा तय हो जाने के कारण यान बीमा कम्पनी के नाम में अन्तरित किया जा रहा हो।
- (4) राज्य में पहले से या राज्य के बाहर रिजस्ट्रीकृत या मिलिट्री डिस्पोजल यानों के मामले में, जिन पर एकबारीय कर पूर्व में संदेय नहीं था, एकबारीय कर, ऊपर यथा-संगणित कर की रकम को, रिजस्ट्रीकरण की तारीख से 10 वर्ष तक प्रति वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए 5% की दर से घटा कर, परिनिर्धारित किया जायेगा।
- (5) रिजस्ट्रीकरण से छूटप्राप्त यानों या ऐसे यानों की दशा में जो विहित समय के दौरान रिजस्ट्रीकृत नहीं किये गये थे, जिन पर एकबारीय कर पूर्व में संदेय नहीं

- था, एकबारीय कर ऊपर यथा-संगणित कर की रकम में से उनके क्रय की तारीख से 10 वर्ष तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए 5% की दर से घटा करके इस शर्त के अध्यधीन परिनिर्धारित किया जायेगा कि ऐसे यान पर शोध्य कर संदत्त कर दिया गया है।
- (6) यदि ऊपर क्र.सं. 1 से 3 के सामने स्तम्भ सं. 2 में यथावर्णित ऐसे यान भाड़े या पारितोषिक पर चल रहे पाये जायें तो ये यान उस सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए, जिसमें यान भाड़े या पारितोषिक पर चल रहा पाया गया था, समान प्रकार के परिवहन यानों के लिए यथा-अधिसूचित कर का संदाय करने के दायी होंगे किन्तु उन मामलों में जहां यान उसी वित्तीय वर्ष में, जिसमें वह भाड़े या पारितोषिक पर चलता हुआ पाया गया था, रजिस्ट्रीकृत है तो शेष वित्तीय वर्ष के लिए आनुपातिक आधार पर कर संदत्त किया जायेगा।

टिप्पणः इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी भी कालाविध के लिए अधिनियम के अधीन संदेय कोई कर या शास्ति किसी मोटर यान के स्वामी या उसका कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा संदत्त की जायेगी।

स्पष्टीकरणः

- (1) ''संनिर्माण उपस्कर यान'' से केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 2 (ग क) में यथा-परिभाषित यान अभिप्रेत है। संनिर्माण उपस्कर यान द्वारा सार्वजिनक सड़क का उपयोग मुख्य ऑफ रूट कृत्य का आनुषंगिक है। यदि सार्वजिनक सड़क नियमित रूप से वाणिन्यिक गतिविधियों के लिये प्रयुक्त हो रहा है तो संनिर्माण उपस्कर यान परिवहन यान समझा जायेगा।
- (2) कर की संगणना के लिए यानों की लागतः
 - (i) नए यान/वैसिस के मामले में क्रय बिल में यथादर्शित समस्त करों सहित शोरुम बाह्य कीमत होगी।
 - (ii) राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत/खरीदे गये और समनुदेशन/रजिस्ट्रीकरण के लिए राजस्थान में लाये गये यानों के मामले में, और राजस्थान में पहले से ही रजिस्ट्रीकृत ऐसे यान के लिए, जिन पर एक-बारीय कर पूर्व में संदेय नहीं था उस दिन, जिस दिन कर शोध्य होता है वह लागत होगी जो इस राज्य में समान प्रकार के यानों पर राजस्थान में प्रचलित हो।
 - (iii) भारत के बाहर विनिर्मित यानों के मामले में समस्त करों और उद्ग्रहणों सिहत वह रकम होगी जो संदत्त कर दी गयी है, चाहे राजस्थान में नये सिरे से आयातित हो या समनुदेशन के लिए अन्य राज्यों से लाये जायें।
 - (iv) मिलिट्री डिस्पोजल यानों के मामले में, रजिस्ट्रीकरण के दिन समान प्रकार के यान पर यथा-प्रचलित रकम होगी।

[एफ.6(179)परि/कर/मु॰/95/1पी] राज्यपाल के आदेश से,

> **मनोज कुमार शर्मा,** शासन उप सचिव